

SHRI S. M. BANERJEE: There is nothing wrong. . .

MR. SPEAKER: This will not go on record; it will not form part of the record.

We will now adjourn for lunch till quarter to Three.

13.40 hrs.

The Lok Sabha adjourned for lunch till Forty-five minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fifty Minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRI PRAKASH VIR SHASTRI in the Chair]

NEWSPAPER FINANCE CORPORATION BILL *

MR. CHAIRMAN: Shri Satya Narayan Sinha.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): Sir, on behalf of Shri Satya Narayan Sinha, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a Newspaper Finance Corporation for rendering financial assistance to small and medium newspapers and for matters connected therewith or incidental thereto.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी): सभापति जी, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। आगामी सप्ताह की कार्यवाही पर जब मैं बोल रहा था उस वक्त भी मैंने कहा कि यह विधेयक स्माल न्यूजपेपर्स के नाम पर लाया जा रहा है लेकिन हकीकत में जो मोनोपली प्रेस हिन्दुस्तान के हैं उनकी मदद के लिए, उनके बढ़ावे के लिए है। इसमें कहा गया है स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स में कि एन्क्वायरी कमेटी ग्रान स्माल एन्ड मीडियम न्यूजपेपर्स ने जो रेकमेन्डेशन की उसके

मुताबिक यह बिल लाया जा रहा है। आप यह रिपोर्ट एन्क्वायरी कमेटी ग्रान स्माल एन्ड मीडियम न्यूजपेपर्स की देखें उसने जो सिफारिश की है उसमें स्माल न्यूजपेपर की परिभाषा दी है कि जिसका सर्कुलेशन नाट एक्सीडिंग 20,000 हो और साथ ही साथ यह 20,000 सर्कुलेशन का जो पेपर होगा वह जो कि चैन पेपर्स में नहीं है उसको स्माल एन्ड मीडियम न्यूजपेपर्स की परिभाषा दी गई है। और यह इस विधेयक में क्या कर रहे हैं, फिनांशियल मेमोरेन्डम में कहते हैं कि डब्लू नाट एक्सीड 50,000 कापीज़। यह इनकी परिभाषा है स्माल एन्ड मीडियम न्यूज पेपर की। अब 50,000 सर्कुलेशन का कौन अखबार दिल्ली का नहीं है? कौन अखबार 50 हजार से ऊपर सर्कुलेशन का है? यह मेरे पास लिस्ट है—हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स आफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस (ए. पी.), ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस (बम्बई), टाइम्स आफ इंडिया (बम्बई), यह सब के सब 50 हजार से नीचे के सर्कुलेशन के ही हैं। जब इस विधेयक के जरिए यह ग्रान्ट देंगे, लोन देंगे, असिस्टेंस देंगे तो यह जितने अखबार हैं इनको सब को इससे यह मदद करने जा रहे हैं। यह अगर छोटे अखबार हैं, हिन्दुस्तान टाइम्स छोटा अखबार है तो बड़ा अखबार कौनसा है? यह 50 हजार के नीचे सर्कुलेशन वाले सब छोटे अखबार हैं तो बड़ा अखबार फिर कौन है? तो स्माल एन्ड मीडियम न्यूजपेपर्स के नाम पर हकीकत में सरकारी पैसे की लूट होने जा रही है और हिन्दुस्तान का जो बुर्जुआ येलो प्रेस है उसकी मदद के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है।

श्री विश्वम चंभ महाजन (चम्बा): प्वाइंट आफ आर्डर, सभापति जी, इंट्रोडक्शन स्टेज पर तो सिर्फ लीगल और कांस्टीट्यूशनल आबजेक्शन किए जा सकते हैं, उस पर बहस नहीं की जा सकती जैसी कि माननीय

सदस्य कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि वह कोई लीगल या कांस्टीट्यूशनल आब-जेक्शन हो तो उठाएं।

सभापति महोदय : श्री शिवचन्द्र झा कृपया संक्षेप में अपनी बात कह कर समाप्त करें।

श्री शिव चन्द्र झा : इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस विधेयक को पहले तो इंट्रोड्यूस ही न करें और करें तो एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को रेफर करें ताकि एन्क्वायरी कमेटी की जो रेकमेंडेशन है कि 20 हजार से ज्यादा सर्कुलेशन जिसकी न हो वह स्माल न्यूजपेपर में आता है उसके अनुसार प्रावधान इसमें किया जाय उसमें खास पाबन्दी यह हो कि दस हजार से ऊपर सर्कुलेशन के जो अखबार हों उनको मदद नहीं होनी चाहिए। . . .

सभापति महोदय : यह आपत्ति जो आप को प्रकट करनी हो यह जब इस विधेयक पर विचार प्रारंभ हो तब विस्तार में कर सकते हैं। अभी तो केवल इंट्रोडक्शन की स्टेज है, अभी इस पर जो कहना है वह संक्षेप में कह दीजिए।

श्री शिव चंद्र झा : मेरा कहना यह है कि जो रेकमेंडेशन है एन्क्वायरी कमेटी आन स्माल एन्ड मीडियम न्यूजपेपर्स की उसके अनुसार विधेयक यह लाएं। सदन को इस तरह से इस एन्क्वायरी कमेटी की सिफारिश के नाम पर गुमराह करते हुए उसकी आंख में यह धूल झांक रहे हैं।

दूसरी आपत्ति मेरी यह है कि इसमें कंसाइडिडेड फंड से पैसे लेंगे। अब यह कहेंगे कि वुलेटिन में निकल गया, लेकिन मैंने तो नहीं देखा कि कहीं उसमें राष्ट्रपति की सिफारिश है जो कि संविधान के आर्टिकल 173 के अनुसार होना जरूरी है। इन दो आपत्तियों की वजह से मैं इसका विरोध करता हूँ।

SHRI I. K. GUJRAL: Sir, a small newspaper has been defined in the Bill itself. I draw the attention of my hon. friend, Shri Shiv Chandra Jha, to p. 2, sub-clause (e) where a small newspaper has been defined:

“Small newspaper” means a daily, bi-weekly, tri-weekly or weekly newspaper, the average circulation of which exceeds,—

× × × ×

(ii) in the case of a daily newspaper, five thousand copies, but does not exceed fifteen thousand copies.”

Similarly, a medium newspaper has also been defined:

“Medium newspaper” means a daily, bi-weekly, tri-weekly or weekly newspaper, the average circulation of which exceeds,—

× × × ×

(ii) in the case of a daily newspaper, fifteen thousand copies, but does not exceed in any case fifty thousand copies.”

Therefore, my friend will agree with me that regarding the small and medium newspapers, the words used are the same as in the Press Commission's report. Therefore, it is not a question that it has been taken from a different context. This Bill is a product of the recommendations of the Press Council and my hon. friend will have sufficient chance to talk about it and I will meet his point when it comes up for regular discussion.

श्री शिव चन्द्र झा : सभापति महोदय,

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है कि लघु और मध्यम समाचार-पत्रों को वित्तीय सहायता देने के लिये समाचार-पत्र वित्त निगम के स्थापन और उससे संशक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।

The motion was adopted.

SHRI I. K. GUJRAL: Sir, I introduce the Bill.